

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

क्रमांकएफ 3(67)खा.वि./स्था.मु./76 II


जयपुर, दिनांक 03/10/2023

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट-II दिनांक 26.07.2023 एवं कार्मिक (ए-ग्रुप-II) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3(8)डीओपी/ए-II/2013 पार्ट-II दिनांक 17.03.2023 के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर में वरिष्ठ निजी सचिव (एल-16, ग्रेड-पे 6600) का 01 पद सृजित किया जाता है।

यह आदेश विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 26.09.2023 से प्रभावी होंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


3/10/2023
(नवनीत कुमार)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
03. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर।
04. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ए-ग्रुप-II) विभाग, जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
06. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
07. निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय/सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
08. विभागीय भुगतान शाखा।
09. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव